(11)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 22.....सन् Type equation here.2014–15

केश का प्रकार .....बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार–योगेन्द्र भगत प्रतिपक्षीः– (उषा देवी–मृत–) राजेश प्रसाद वगैरह

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
09.05.2018	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खुटौना से प्राप्त जमाबंदी सुधार वाद अभिलेख संख्या–24/2014–15 भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के पत्रांक–1007 दिनांक–05.12.2014 से प्रेषित अभिलेख के आधार पर प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी ने आदेशफलक में लिखा है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–खुटौना के खाता नं. 600 खेसरा नं. 4713 रकवा 0–0–$10\frac{3}{4}$ जमाबंदी नं. 2798 बनाम उषा देवी को संशोधित कर जमाबंदी नं. 1686 बनाम योगेन्द्र भगत के नाम दर्ज करने हेतु जमाबंदी संशोधित करने का प्रस्ताव दिया गया। अंचल अधिकारी ने अपने मूल अभिलेख में कन्टीन्यूअस खतियान के नकल की छाया प्रति संलग्न किया जिसमें मौजा–खुटौना थाना नं. 90 खाता–1638 खेसरा 6400 किस्म जमीन–मकानमय सहन रैयत–हरिभगत पिता बिलट भगत दर्ज है। वाद संचालन के कम में पक्षकारों की ओर से बताया गया कि प्रतिपक्षी उषा देवी की मृत्यु हो चुकी है उनके पुत्रों को पक्षकार बनाया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सूना एवं वाद को आदेशार्थ रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत किया गया। आवेदक के लिखित बहस का मुख्य अंश है कि आवेदक के नाम से चल रहे जमाबंदी नं. 1686 रकवा 10 धुर जो आवेदक के नाम से चल रहे जमाबंदी में से उषा देवी के नाम से कायम जमाबंदी नं. 2798 को रद्द किया जाय। दाखिल खारिज मोकदमा नं. 54/99 में अंचल अधिकारी, खुटौना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उषा देवी ने दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–16/99 आवेदक के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय में दायर किया जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता ने दाखिल खारिज का मुख्य बिन्दु दखल कब्जा पाते हुये उषा देवी के अपील को खारिज कर दिया। उषा देवी के नाम से चल रही जमाबंदी नं. 2798 रद्द किया जाना आवश्यक है। जमाबंदी संख्या–1686 जो आवेदक के नाम से चल रहा है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी क्षेत्राधिकार के बाहर है। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का मुख्य अंश है कि मौजा–खुटौना थाना–खुटौना के खाता नं. 600 खेसरा नं. 4713 रकवा $10\frac{3}{4}$ धुर से संबंधित है। खेसरा नं. 4713 का कुल खतियानी रकवा 14 धुर है जिसका अंश प्रश्नगत जमीन $10\frac{3}{4}$ धुर है लेकिन इस अंश का भाग या चौहद्दी नहीं दर्शाया गया है। अस्पष्ट एवं अनिश्चित जमीन के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं चलाया जा सकता वाद खारिज योग्य है। प्रश्नगत जमीन कैडेस्ट्रल सर्वे बिलट तमोली के नाम से बना। खतियानधारी के देहान्त के बाद उनके बंशज अपने अपने हिस्सा वाली जमीन पर दखलकार हुये। एक भाई की जमीन से दुसरे भाई को कोई सरोकार नहीं रहा। बैद्यनाथ भगत ने खेसरा नं. 4713 में से अपने हिस्से वो दखली जमीन पश्चिम से 4 धूर $10\frac{3}{4}$ कनमा जमीन रामबाबू भगत को बिक्री कर दखल दे दिया।	

पुनः रामबाबू भगत ने केवाला के माध्यम से मूल विपक्षी को जमीन बिक्री कर दखल दे दिया। सर्वे अमला की गलती से उक्त जमीन का नया खतियान हरि भगत के नाम से बन गया जिसका सुधार दफा 106 बी0टी0एक्ट हकीयत वाद संख्या–283/2005 में सुधार कर उषा देवी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज वाद संख्या–592/2005–06 से जमाबंदी नं. 2798 कायम हुआ जिसका मालगुजारी अदा किया जा रहा है। दखल कब्जा के संबंध में आवेदक का कथन बिल्कुल गलत है। विपक्षी अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर उसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। विपक्षी संख्या–1,2एवं 3 उषा देवी के बड़े पुत्र स्व0 अनिल प्रसाद के पुत्र. हैं तथा विपक्षी संख्या–4 उषा देवी के पुत्र हैं। उषा देवी के नाम कायम जमाबंदी 2798 जायज एवं नियमानुकुल है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना अनुचित एवं गैर कानूनी होगा। प्रस्तुत वाद को खारिज किया जाय। विपक्षी संख्या–1,2,3 वो 4 की ओर से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कथन के समर्थन में साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया है।

प्रस्तुत वाद में अंचल अधिकारी के अभिलेख में उद्धृत तथ्य, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत पक्ष एवं लिखित बहस से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद रैयती भूमि विवाद स्वत्व एवं दखल कब्जा से संबंधित है। पक्षकारों की ओर से अपने–अपने दखल का दावा किया जा रहा है। स्वत्व एवं दखल कब्जा का वास्तविक एवं स्थायी निराकरण माननीय सिविल न्यायालय से संभव होगा। दोनों पक्ष स्वत्व एवं दखल कब्जा के स्थायी निराकरण हेतु माननीय सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी ऑबजर्वेशन के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खुटौना एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास को भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।